मेहम

2022/271

फैसला में 29/9/22

कोठारी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेशी स्टेज
17.11.22
12.1.2023

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमांक 5
धारा- 136	273/22	17/8/2022	20/6/23 निर्णीत	

अनवान

श्री नरेन्द्र कुमार रेगर श्री राजस्थान सरकार

निवासी हरजीपुरा निवासी

संजय धाकड़ Advocate
अभिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

सरकार
अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / बदयूनाब

श्री श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

नरेन्द्र रेगर बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा – 136 नम्बर 273 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/8 /2022	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पेरोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 29/9 /2022 को पेश हों। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
29.9.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व सरकार पैरोकार उपस्थित। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 17.11.22 को पेश हो। Sd/-	
17/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील से मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते बैइंतजार मौका रिपोर्ट दि. 12.1.23 को पेश हो। Sd/-	
12/1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23.2.23 को वास्ते मौका रिपोर्ट पेश हो। Sd/- उप खण्ड अधिकारी	

23/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्र...
उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रा...
दिनांक 22/3/23 को वास्ते मौ/रि० पेश हो।

gov
उप खण्ड अधिकारी

22/3/23 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 4/4/23 को वास्ते मौ/रिपोर्ट पेश हो।

gov
उप खण्ड अधिकारी

4/4/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित।
रि. प्राप्त पत्रावली वास्ते मौका/रिपोर्ट दि. 19/4/23
को पेश हो।

19/4/23 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 24.5.23 को वास्ते मौ/रि. पेश हो।

gov
उप खण्ड अधिकारी

24/5/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार बिजौलिया से मौका रिपोर्ट दि. 7/11/22 को प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय 20/6/23 को पेश हो।

20/6/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया की मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार बिजौलिया ने रिपोर्ट में बताया कि नाम शुद्धिकरण की रिपोर्ट सही है। तहसीलदार बिजौलिया की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नम्बर ...
अहकाम ...
हुक्म की ...
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : — श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :— 273 / 2022 दायर तारीख 17.08.2022

अनवान

नरेन्द्र कुमार पिता मोहनलाल जाति रेगर (बोला) उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपस्थित :— 1. श्री संजय कुमार धाकड़ — अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 20 / 06 / 2023

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा में स्थित खाता संख्या 11 जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पर अंकित खातेदार नानालाल पुत्र मोहन हिस्सा 1/288 जाति रेगर (बोला) सा. देह खातेदार खसरा संख्या 187 रकबा 0.1781 है0, खसरा संख्या 188 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.2428 है0, खसरा संख्या 190 रकबा 0.1052 है0, खसरा संख्या 191 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 192 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 193 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 194 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 195 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 196 रकबा 0.1457 है0, खसरा संख्या 197 रकबा 0.1862 है0, खसरा संख्या 201 रकबा 0.0324 है0, खसरा संख्या 202 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 204 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 205 रकबा 0. 0243 है0, खसरा संख्या 206 रकबा 0.2185 है0 कुल किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा हैं।

उक्त खाते की जमीन पर प्रार्थी का नाम नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर सा0 देह खातेदार दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त कृषि जायदाद प्रार्थी की सामलाती स्वामित्व की सम्पति हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा करीब 7 वर्ष पूर्व विरासत का नामान्तरण खुलने पर नरेन्द्र पुत्र मोहन के बजाय नानालाल पुत्र मोहन अंकित हो गया जो मानवीय त्रुटि हैं।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा में स्थित खाता संख्या 11 जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पर अंकित खातेदार नानालाल पुत्र मोहन हिस्सा 1/288 जाति रेगर (बोला) सा. देह खातेदार खसरा संख्या 187 रकबा 0.1781 है0, खसरा संख्या 188 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.2428 है0, खसरा संख्या 190 रकबा 0.1052 है0, खसरा संख्या 191 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 192 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 193 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 194 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 195 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 196 रकबा 0.1457 है0, खसरा संख्या 197 रकबा 0. 1862 है0, खसरा संख्या 201 रकबा 0.0324 है0, खसरा संख्या 202 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 204 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 205 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 206 रकबा 0.2185 है0 कुल किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर (बोला) निवासी हरजीपुरा के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र मोहन जाति रेगर (बोला) निवासी हरजीपुरा किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मोजा ग्राम हरजीपुरा प0ह0 गोपालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 की फोटो प्रति, प्रार्थी के आधारकार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा जारी वारिश प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, परिवार राशनकार्ड एवं जन—आधार कार्ड की फोटोप्रति संलग्न की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां ने उपस्थित होकर तहसीलदर बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2022/2431 दिनांक 17.11.2022 से जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम हरजीपुरा की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 11 पर दर्ज किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर हिस्सा 1/288 सा. देह दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड तथा दिनांक 07.05.2015 को ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा जारी किये गये वारिस प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम नरेन्द्र पुत्र मोहन रेगर अंकित किया हुआ हैं। एवं प्रार्थी के नाम ग्राम शम्भुपुरा की खाता संख्या 72 में दर्ज भूमि किता 3 रकबा 1.5298 है0 में नरेन्द्र पुत्र मोहन रेगर सा0 हरजीपुरा दर्ज रेकॉर्ड हैं जानकारी करने पर नानालाल पुत्र मोहनलाल रेगर नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होना पाया गया।

अतः ग्राम हरजीपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 11 पर दर्ज किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर सा. देह (हरजीपुरा) के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र मोहन रेगर सा0 देह किया जाना उचित होगा।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम हरजीपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 11 पर दर्ज किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में खातेदार के नाम में शुद्धिकरण कर नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर सा. देह (हरजीपुरा) के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र मोहन रेगर सा0 देह करवाना चाहा है। तथा तहसीलदार बिजौलियां ने भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ग्राम हरजीपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 11 पर दर्ज किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर सा. देह (हरजीपुरा) के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र मोहन रेगर सा0 देह किये जाने हेतु अपनी स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः प्रार्थी की ग्राम शम्भुपुरा की खाता संख्या 72 में दर्ज भूमि किता 3 रकबा 1.5298 है0 में नरेन्द्र पुत्र मोहन रेगर सा0 हरजीपुरा दर्ज रेकॉर्ड होने से मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा में स्थित खाता संख्या 11 जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पर अंकित खातेदार नानालाल पुत्र मोहन हिस्सा 1/288 जाति रेगर (बोला) सा. देह खातेदार खसरा संख्या 187 रकबा 0.1781 है0, खसरा संख्या 188 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 189 रकबा 0.2428 है0, खसरा संख्या 190 रकबा 0.1052 है0, खसरा संख्या 191 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 192 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 193 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 194 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 195 रकबा 0.0081 है0, खसरा संख्या 196 रकबा 0.1457 है0, खसरा संख्या 197 रकबा 0.1862 है0, खसरा संख्या 201 रकबा 0.0324 है0, खसरा संख्या 202 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 204 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 205 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 206 रकबा 0.2185 है0 कुल किता 16 रकबा 1.3276 है0 भूमि में प्रार्थी खातेदार के नाम में शुद्धिकरण कर नानालाल पुत्र मोहन जाति रेगर (बोला) निवासी हरजीपुरा के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र मोहन जाति रेगर (बोला) निवासी हरजीपुरा किया जाना उचित हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20/06/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)